



266

अ.प्र. 3968-I-15

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी याचिका प्र. क्रं. /2015

निगरानीकर्ता :- श्रीमति लीला दुबे

पत्नि स्व. श्री राम अवतार दुबे, उम्र लगभग 80 वर्ष, निवासी- गांधीगंज, कटनी जिला कटनी (म.प्र.)

विरुद्ध

:- हाजी मोहम्मद रोशन

आत्मज मो. इसहाक, निवासी- मिशन चौक, जिला कटनी (म.प्र.)

निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

न्यायालय तहसीलदार कटनी के प्रकरण क्रं. 19/अ-70/11-12 में पारित आदेश दिनांक 02.11.2015 से परिवेदित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर यह निगरानी याचिका प्रस्तुत है:-

निगरानी के तथ्य:-

1. यह कि, प्रत्यर्थी द्वारा एक आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के समक्ष म.प्र. भू-राजस्व संहिता धारा 1950 सहपठित धारा 32 के अंतर्गत प्रस्तुत किया कि मौजा मुड़वारा, प.ह.नं. 43, के अंतर्गत स्थित खसरा नं. 265/1 रकवा 0.056 हेक्टेयर भूमि जो आवेदक की मूल भूमिस्वामी भूमि हक की भूमि है उक्त भूमि पर अनावेदिका श्रीमति लीला दुबे पिता श्री राम अवतार दुबे निवासी कटनी जिला कटनी के द्वारा बलपूर्वक दिनांक 10.09.2012 को उक्त भूमि पर नीव खोदकर निर्माण कार्य कर रहे है उक्त भूमि पर अनावेदकों के द्वारा किये जा रहे अवैध निर्माण कार्य को रोक जाने व कब्जा दिलाये जाने का निवेदन किया।
2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कटनी द्वारा प्रकरण शीर्ष अ-70 में पंजीकृत हल्का पटवारी से जांच प्रतिवेदन लिया गया, जबाव प्रस्तुत होने तक स्थगन आदेश जारी हो अनावेदक आहुत हो के आदेश पारित किये गये।

प्रत्यर्थी
14/12/15 को
श.प्र. 3968-I-15

14/12/15

ग.प्र.

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 3968-एक/16

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-12-16	<p>प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी तहसीलदार, कटनी के प्रकरण क्रमांक 19/अ-70/11-12 में पारित आदेश दिनांक 2-11-15 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।</p> <p>2/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमो में उद्धरित किए गए हैं । अनावेदक प्रकरण में एकपक्षीय है ।</p> <p>3/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया तथा आलोच्य आदेश का परिशीलन किया । तहसीलदार के आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उन्होंने आवेदिका द्वारा प्रचलनशीलता के संबंध में उठाई गई आपत्ति पर उभयपक्षों को सुनने के उपरांत आवेदिका को यह निर्देश दिए हैं कि वे उसके द्वारा क्रय की गई भूमि के विक्रयपत्र की प्रति व हाल वर्ष के खसरे की नकलें पेश करें ताकि प्रकरण की प्रचलनशीलता के संबंध में आदेश पारित किया जा सके साथ ही उन्होंने मौके पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए तहसीलदार का आलोच्य आदेश औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत है और उसमें ऐसी कोई विधिक या सारवान त्रुटि नहीं है, जिस कारण किसी प्रकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो । आवेदिका को अपना पक्ष</p>	

R. 3968 5/16 श्रीमती लीला दुबे विरुद्ध हाजी मोहम्मद

स्थान तथा
दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं
अभिभाषकों आदि
के हस्ताक्षर

रखने का समुचित अवसर अधीनस्थ न्यायालय में उपलब्ध है । दर्शित
परिस्थिति में यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है ।

पक्षकार सूचित हों एवं अभिलेख वापिस हो


सदस्य

R.
1/16